न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 05/2022

जाकिर हुसैन निवासी राज टाकिज के पीछे टोंक राज0

बनाम --अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **6.4.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2021 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र दिनाक 24.09.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

यह कि श्री प्रहलाद सिंह पटवारी/गिरदावर के विरूद्व प्राप्त परिवाद वर्ष 2000 से 2020 तक की सूचना एक–एक प्रति में उपलब्ध करावे। उक्त सूचना तहसीलदार भू.अ. टोंक में कस्बा शर्की व कस्वा गर्बी की उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक को पत्र किमांक 329 दिनांक 9–03–2022 व 416 दिनांक 25.3.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक द्वारा पत्र कमांकः रिकार्ड/आरटीआई/2020/1732 दिनांक 28–03–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांकः आरटीआई/2020/1725 दिनांक 25–03–2022 से नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने के लिये सूचित किया गया है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:42 IST
Reason: SelfAttested